

संवेदको के लिए आम-सूचना

राज्य सरकार के पंजीयन आदेश सं F2(a) वित्त/व्यय/3/97 दिनांक 24.05.1999 संशोधित आदेश सं F2(3) वित्त/व्यय-3/99 दिनांक 23.03.2001 एवं आदेश सं F2(4) PWF & AR/99 पार्ट-II दिनांक 10.10.2017 की अनुपालना में पंजीकृत संवेदको को लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के section-7 के para 2 के अनुसार संवेदको की रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात संवेदक स्वयं के द्वारा एवं विभागीय क्षेत्राधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य के आंकड़ों के आधार पर पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में संशोधित आदेश सं प. 3 (2) वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 03.04.2025 "The existing words "two years" appearing in item VII.2 of Section VII .. Performance of Contractors (Applicable to all Category of Contractors) shall be substituted by the words "four years"." के अनुसार प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन संवेदक द्वारा विभाग से कराया जाना अनिवार्य है।

उक्त नियमानुसार प्रत्येक चार वर्ष पश्चात रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन सभी संवेदको द्वारा कराया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी निविदाओं में पुनर्विलोकन नहीं कराने वाले संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।

अधीक्षण अभियन्ता
बीडा भिवाड़ी
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी।
02. अधिशाषी अभियन्ता (समस्त), बीडा भिवाड़ी।
03. लेखा शाखा, बीडा भिवाड़ी।
04. सहायक प्रोग्रामर, बीडा भिवाड़ी को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना को बीडा वेबसाइट पर publish किया जाना सुनिश्चित करें।
05. अध्यक्ष, संवेदक यूनियन, बीडा भिवाड़ी।
06. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता
बीडा भिवाड़ी
Signature valid

Digitally signed by Yogendra Kumar
Designation: Superintending
Engineer
Date: 2025.07.28 17:04:59 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16825612
eSign 1.0

